न्यायालय सहायक कलेक्टर (मुख्यालय) सवाईमाधोपुर

पीठासीन अधिकारी :– अन्जु शर्मा (आर.ए.एस.)
मुकदमा नम्बर 09/2015

उनवान

1. कैलाश
2. पृथ्वीराज } पुत्रान मोडया
3. कमलेश

4. जगराम } पुत्रान बदरी
5. मुरली
6. चरत लाल पुत्र फूल्या
7. हीरालाल पुत्र सुवा समस्त जाति मीना निवासीयान ग्राम श्यामपुरा, तहसील व जिला सवाईमाधोपुर

–वादीगण

बनाम

1. हनुमान पुत्र बजराम
2. टीकाराम पुत्र मडया
3. सीताराम पुत्र सुत्रापाल
4. कमली पत्नी हनुमान
5. दिनेश पुत्र हनुमान
6. रामराजी पत्नी हनुमान
7. आत्माराम पुत्र टीकाराम
8. देशराज पुत्र टीकाराम
9. दिलराज पुत्र सीताराम
10. रामफूली पत्नी सीताराम
11. धरमन्ती पत्नी दिलराज
12. प्रियंका पत्नी आत्माराम
13. तहसीलदार,सवाई माधोपुर

} जातियान मीना निवासीयान श्यामपुरा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

–प्रतिवादीगण

वादपत्र,स्थाई निषेधाज्ञा

अभिभाषक :–1. श्री राधेश्याम वेष्णव ऐड0 वादीगण
2. श्री रवीन्द्र सिह हाडा ऐड0 प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः– 21.8.2018

वादीगण द्वारा एक दावा स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् पेश किया है। दावो के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 1. वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम श्यामपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजी ख0नं0 4086 रकबा 0.1300 है0 ख0नं0 233 रकबा 0.2700 है0 ख0नं0 234 रकबा 0.0600 है0 ख0नं0 236 रकबा 0.1200 है0 ख0नं0 237 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 4143 रकबा 0.4200 है0 है। 2. वादीगण की उक्त भूमि से प्रतिवादीगण को कोई सम्बन्ध किसी भी प्रकार का नही है प्रतिवादीगण थोकबन्द लठैत झगडालू प्रवृति के व्यक्ति है जो लट्ठ के बल पर वादीगण की भूमि पर जबरन कब्जा करनें पर आमादा है। वादीगण ने उक्त भूमि पर इस वर्ष श्यालू के लिये जोत लगाकर बुवाई हेतू तैयार कर रखी हैं। 3. दिनांक 27.6.2015 को प्रतिवादीगण हाथो में लाठी लेकर वादीगण की

सहायक कलेक्टर
मु0 सवाई माधोपुर

...भूमि पर टेक्ट्रर लेकर आ गये। तथा जबरन काश्त करने की धमकी दी। वादीगण ने प्रतिवादीगण से मना किया तो प्रतिवादीगण ने वादीगण को मॉ बहिन की गालिया दी व जान से मारनें पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण ने वादीगण को धमकी दी कि वे वादीग,ण की उक्त भूमि पर प्रतिवादीगण जबरन कब्जा करके रहेगें ।तथा वादीगण को उक्त भूमि पर काश्त नही करने देगे। वादीगण ने बडीमुश्किल से प्रतिवादीगण से हाथा जोडी कर जान बचाई। 4. प्रतिवादी ाण आपराधिक प्रवृति के लोग है। तथा वादीगण अपनी जमीन को नियमानुसार जोतकर उससे प्रतिफल प्राप्त करनें का विधिक अधिकार रखता हैं, जिसमें किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न करने का प्रतिवादीगण को अधिकार नही है। परन्तु प्रतिवादीगण लडठ के बल पर वादीगण की जमीन छीननें पर आमादा है। जिससे प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। कि वे वादीगण के वाद पत्र के चरण क्रमांक एक में वर्णित भूमि वादीगण के स्वामित्त एवं कब्जे काश्त की भूमि है। जिसमें किसी प्रकार का अवरोध करने का अधिकार प्रतिवादीगण को नही है। इस हेतु जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे की वे वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें तथा नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। 5. यह कि प्रितिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे वाद पत्र के चरण क्रमांक एक में वर्णित भूमि वादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की है जिसके उपयोग उपभोग में किसी भी प्रकार की बाधा न तो स्वयं उपन्न करें तथा प्रतिवादीगण वादीगण की भूमि में जबरन प्रवेश व कब्जा नहीं करें।6.दिनांक 27.6.15 को वाद कारण उत्पन्न हुआ। 7.वाद पत्र अन्दर मियाद है। 8. विचारण का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। प्रतिवादीगण दिनांक 23.7.2015 को जरिये वकील हाजिर अदालत आये प्रतिवादीगणों को कई अवशर दिये जाने पर भी जवाब दावा पेश नही करने पर दिनांक 06.11.17 को जवाब दावा बन्द किया गया । वादीगण ने साक्ष्य वादी में कमलेश पुत्र मोडया का शपथ पत्र प्रस्तुत हुआ।

हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराये।

अतः विद्ववान वकील वादी की बहस एवं उनके द्वारा प्रस्तुत दावे के समर्थन राजस्व रिकार्डस जमाबन्दी सम्वत 2068से 2071 के खाता संख्या 1092 व 106 का अवलोकन किया जिसमें उक्त वाद में अंकित भूमि वादीगण की होना साबित है। व साक्ष्य शपथ पत्र बयान का अध्ययन किया। वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा,स्थाई निषेधाज्ञा का अवलोकन व मनन किया गया। प्रतिवादीगण को जवाब व साक्ष्य हेतु कई अवसर दिये जाने पर भी अपने समर्थन मे कोई साक्ष्य व ठोस दस्तावेज प्रस्तुत करने में असफल रहे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर न्यायालय इस विनिश्चयन पर पहुँचा हैं कि वादीगण का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाईनिषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वादीगण की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि ग्राम श्यामपुरा तह0 व जिला सवाई माधोपुर में स्थित आराजी ख0नं0 4086 रकबा 0.1300 है0 ख0नं0 233 रकबा 0.2700 है0 ख0नं0 234 रकबा 0.0600 है0 ख0नं0 236 रकबा 0.1200 है0 ख0नं0 237 रकबा 0.0300 है0 ख0नं0 4143 रकबा 0.4200 है0 में वादीगण के कब्जे काश्त में न तो स्वयं बाधा उत्पन्न करें तथा नही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें। निर्णय आज दिनांक 21.08.2018 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया एवं हस्ताक्षरित किया गया ।तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मियाद गुजरने बाद दाखिल दफ्तर हो ।

(अन्जु शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(मु0) सवाईमाधोपुर